ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 153-155**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

एक कस्बे की श्रमिक महिलाओं का पारिवारिक जीवन

डॉ0 गीता कुमारी

एम0ए0, पी–एच0 डी0– समाजशास्त्र, ग्राम–जसोईया, पो0–चरन, जिला– औरंगाबाद (बिहार) भारत

Received-01.05.2026, Revised-09.05.2026, Accepted-16.05.2026, E-mail:drgita74@gmail.com

सारांशः कृषि के साथ–साथ भारतीय समाज के अन्य आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है, जिसने श्रम बाजार की आन्तरिक संरचना को आन्दोलित कर दिया है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम, श्रममूल्य और श्रमिक की उपादेयता सिद्ध है। महिला श्रम मानवीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके माध्यम से समाज के सांस्कृतिक मूल्यों का निर्वहन होता है, और आर्थिक संरचना की निर्माण प्रक्रिया प्रस्फुटित होती है। एतदर्थ विकास की वर्तमान स्थिति में श्रम–शक्ति संरचना में महिलाओं की सहभागिता के मूलभूत पक्षों का विश्लेषण उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं के आंकलन एवं विवेचन हेतु आवश्यक है।

कुंजीभूत शब्द– श्रमिक महिला, पारिवारिक जीवन, भारतीय समाज, आर्थिक क्षेत्र, सहभागिता, श्रम बाजार, आन्तरिक संरचना, श्रममूल्य।

महिला श्रम की उपादेयता ऐतिहासिक विकास क्रम में परिलक्षित होती है। महिलाओं का प्रत्येक समाज में एक सुनिश्चित स्थान होता है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति के आधार पर महिलाओं की प्रस्थिति का मूल्यांकन और मूलरूप से उनके अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व की यथास्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। वस्तुतः सामाजिक व्यवस्था में आयु, लिंग, जन्म, वंश और जैवकीय मानसिक प्रकृति की विशिष्टताएं प्रस्थिति के प्रचलित आधारों के रूप में स्वीकार की जाती है। मूलतः प्रस्थिति एक प्रघटना है, यह मनुष्य की मौलिक विशिष्टता न होकर सामाजिक संगठन की विशिष्टता है।[1]

आधुनिक विकासशील राष्ट्रों में मूलतः एशिया के कुछ अविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में महिला श्रम शक्ति धीरे–धीरे औद्योगिक विकास के सम्वाहक दृष्टिकोणों से संयुक्त हो रही है।[2] पुरुषों की अपेक्षा महिला श्रम की सहभागिता इन राष्ट्रों में काफी कम है।[3] भारत में 1981 की जनगणना के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि जहां एक ओर पुरुषों की श्रम शक्ति में सहभागिता दर 52.7 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की मात्र 19.8 प्रतिशत है। नेपाल में पुरुष श्रम सहभागिता दर 1981 की जनगणना के अनुसार 58.2 प्रतिशत तथा महिला 32.4 प्रतिशत थी, जबकि चीन में यह प्रतिशत क्रमशः 57.3 प्रतिशत एवं 42.7 प्रतिशत थी। हांगकांग के 1986 की जनगणना से यह स्पष्ट होता है कि कुल श्रम शक्ति में पुरुषों और महिला श्रम की सहभागिता दर क्रमशः 61.9 प्रतिशत और 39.6 प्रतिशत थी। दूसरी ओर बंगलादेश में 1984–85 में पुरुषों एवं महिलाओं की सहभागिता दर क्रमशः 53.8 प्रतिशत एवं 5.6 पव्रतिशत थी। पाकिस्तान में यह प्रतिशतता 1984–85 में क्रमशः 51.7 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत थी। स्पश्टतः पाकिस्तान, बंगलादेश की अपेक्षा भारत में महिला श्रम शक्ति सहभागिता अधिक पायी गयी है, परन्तु यह अपने पड़ौसी देश चीन और नेपाल से बहुत की कम थी।[4]

महिलाओं की श्रम शक्ति में सहभागिता दर सामान्यतः सभी एशियाई राष्ट्रों में पुरुषों की अपेक्षा कम है दूसरी ओर पुरुषों की दर में समरूपता पायी गयी है। वस्तुतः पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों में महिलाओं में श्रम सहभागिता दर दक्षिण एशिया की तुलना में अधिक है।

दक्षिण एशिया में भारत (19.8) प्रतिशत अपने पड़ोसी राष्ट्रों पाकिस्तान और बंगला देश (लगभग 6 प्रतिशत) से अधिक महिला श्रम सहभागिता दर प्रदर्शित करता है। महिलाओं का श्रम संगठन में उपरोक्त निम्न स्तर की सहभागिताएं इन समाजों की विशिष्टताओं को स्पष्ट करती हैं। प्रथमतः वर्तमान विकासीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक–आर्थिक जटिलताएं निहित सांस्कृतिक उपबन्धों के साथ महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करती है। दूसरी ओर बाजार व्यवस्था के उत्पादन प्रतिमान तथा निजी खपत के उत्पाद यह सुनिश्चित करते हैं कि श्रम की लैंगिक सहभागिता क्या हो सकती है।[5] संयुक्त राष्ट्र संघ के श्रमिक एवं श्रम शक्ति के निर्धारक मुद्दों पर जो सहमति की गई है उसके अनुसार उत्पादन परिसीमा में केवल उन्हीं लोगों को जो बाजार से परे उत्पादन में लगे हुये हैं उन्हें श्रम शक्ति के अनतर्गत रक्खा गया है। इनमें मुख्यतः (1) निजी खपत हेतु प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन (2) उत्पादकों द्वारा निजी खपत हेतु प्राथमिक वस्तुओं का प्रतिरक्षण (3) कुछ निश्चित वस्तुओं का अपने उपयोग के लिए उत्पादन और (4) कुछ अन्य वस्तुओं का अपने उपयोग के लिए उत्पादन।[6]

समाज के विकासीय उन्मुखताओं में दो विशिष्टताएं अलग–अलग समाजों में पायीजाती हैं। आधुनिकता एवं परम्परा, परम्पराओं की और उन्मुख अथवा उनके प्रतिपालक एवं संवरण की विशिष्टताओं से युक्त समाज में अन्य समाजों की अपेक्षा महिलाओं को श्रम शक्ति में सहभागिता के कम अवसर प्रदान करता है। विकास के नवीन स्त्रोतों की खोज ने महिलाओं की जीवन शैली और प्रस्थिति से सम्बन्धित मूल्यों एवं प्रतिमानों में जटिलता उत्पन्न कर दी है। इस विशिष्ट संरचना के अन्तर्गत जिस नवीन सामाजिक व्यवस्था का उद्भव होता है, उनमें महिला श्रम की उपादेयता आवश्यकताओं का प्रतिफल होती है। वस्तुतः महिला श्रमिक वर्तमान आर्थिक संरचना की जटिलताओं में परिवार, समाज एवं अपने प्रगति के लिए उत्पादन व्यवस्था में सम्बद्ध हो गयी है।

भारतीय महिलाओं के सन्दर्भ में देसाई (1957)[7] हाटे (1969)[8] और मुखर्जी (1972)[9] द्वारा किये गये अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि ऐतिहासिक विकास के साथ–साथ महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति और जीवन शैली में अंशात्मक सुधार हुआ है। भारतीय समाज में महिलाओं की आर्थिक परिस्थितियों का निरूपण अथवा सामान्यीकरण करने के लिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण उत्पादन संरचना में महिला श्रम और उसकी सहभागिता को विवेचित किया जाय।

हाटे (1969) ने भारतीय महिलाओं की बदलती हुयी प्रस्थिति का बहुउद्देशीय सर्वेक्षण के माध्यम से समन्वयात्मक उपागमजनित विवरण प्रस्तुत किया है। जिसके अन्तर्गत उन्होंने महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के निर्धारण में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों को अधिक महत्व दिया है।

भारतीय समाज में महिलाओं की जीवन शैली का मूल्यांकन इनकी पारिवारिक संरचना में ही सम्भव है। परिवार में महिलाओं की भूमिका माँ एवं पत्नी के रूप में महत्वपूर्ण होती है। पुरुष एवं स्त्री को प्राप्त आर्थिक एवं नैतिक अधिकार के व्यवहारिक स्वरूप परिवार के व्यवस्थापरक क्रिया–कलापों में प्रकट होते हैं। महिलाओं को पारिवारिक संरचना में लैंगिक असमानता के व्यवहारिक स्वरूप से अन्तक्रिया करनी पड़ती है। आधारभूत आवश्यकताओं, जैसे भोजन और स्वास्थ्य देखरेख में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को मिलने वाला कम भाग, संसाधन संग्रह में सहभागिता उसके पुनिर्वतरण में असमानता, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की जिम्मेदारी और

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

मुख्यतः निर्धन पारिवारिक दशाओं में पिता के अपेक्षा माता की आय पर बच्चों की निर्भरता आदि, के कुछ ऐसे पक्ष हैं, जो परिवार के अन्दर ही मूल्यांकित किये जा सकते हैं।

भारतीय समाज में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं और बच्चों की निम्न जीवन प्रत्याशा दर समाज के विशेष चरित्र को उजागर करती है। लैंगिक अनुपात में भिन्नता में धीरे–धीरे कमी आ रही है जिसका श्रेय स्वास्थ्य देखरेख के सन्दर्भ में वैज्ञानिक अनुसन्धानों और चिकित्सापरक व्यवस्थाओं को दिया जा सकता है। डान्डेकर (1975) के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएं कम उपलब्ध हैं।[10] इन्हें गम्भीर और जटिल रोगों की स्थिति में ही स्वास्थ्य सुविधाएं गम्भीरतापूर्णक प्रदान किये जाने के प्रयास किये जाते हैं।[11] निर्धन परिवारों की महिलाएं सामान्यतः अपनी बीमारी को इसलिए भी छिपाती रहती हैं जिससे कि उनके परिवार के क्रिया–कलापों में बाधा उत्पन्न न हो और दवाओं पर खर्च न हो। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये सर्वेक्षणों से यह भी ज्ञात होता है कि परिवार में महिलाओं को औसत खाद्य पदार्थ भी अन्य सदस्यों की तुलना में कम प्राप्त होता है। हैरिस (1986) ने अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया है कि नवयुवा और प्रौढ़ महिलाओं को लघु एवं वृहद पोषक तत्वों की समान आपूर्ति की जाती है।[12] यह स्थिति निर्धनों के साथ–साथ अन्य परिवारों में भी पायी जाती है। स्पष्टतः महिला और पुरुष में असमानता सामाजिक संरचना से जुड़ी हुई है।

निर्धन परिवारों में महिलाएं परिवार की आय में प्रमुख योगदान करती हैं और कभी–कभी तो वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक योगदान करती है। उनकी आय का अधिकांश भाग परिवार की देखरेख में लगता है। उपर्युक्त विशिष्टता के अतिरिक्त, अनेक अवसरों और कार्य की दशाओं में भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को निम्न स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तात्पर्य यह कि समान कार्य के लिए भी उन्हें कम मजदूरी दी जाती है और विशेषीकृत कार्यों में भी उन्हें कम आय पर श्रमरत रहना पड़ता है।

अध्ययन का उद्देश्य– प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. इस बात की जानकारी प्राप्त करना कि श्रमिक महिलाएं किस वर्गीय परिवार की हैं ?
2. श्रमिक महिलाओं के परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या को ज्ञात करना ।
3. श्रमिक महिलाओं के जीवनशैली के संदर्भ में विवाह के तौर–तरीके एवं अन्तर्जातीय विवाह की ओर बढ़ते हुए झुकाव का अध्ययन करना ।
4. परम्परागत जातीय व्यवसाय, धार्मिक मान्यताएँ, पूजा–पाठ की स्थितियों पर प्रकाश डालना ।

उपकल्पनाएँ–

1. श्रमिक महिलाएँ निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आती है।
2. श्रमिक महिलाएँ अन्तर्जातीय विवाह के पक्ष में नहीं है।
3. श्रमिक महिलाएँ अभिभावकों द्वारा नियत वैवाहिक सम्बन्धों पर विरोधात्मक अभिरूचि नहीं रखती है।
4. श्रमिक महिलाओं का पति के साथ कटुतापूर्ण सम्बन्ध नहीं है।

अध्ययन का क्षेत्र– प्रस्तुत अध्ययन के लिए औरंगाबाद जिला का ओबरा कस्बा का चयन किया गया है। इस जिला की कुल जनसंख्या की 95 प्रतिशत गाँवों में तथा 5 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है। औरंगाबाद कृषि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत 78 प्रतिशत है।

इस जिले में अधिकतर लोग हिन्दी भाषी है। लगभग 95 प्रतिशत लरोग हिन्दी बोलते हैं। औरंगाबाद जिला में अनेक अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र है। यहाँ परिवार नियोजन केन्द्र तथा उपकेन्द्र भी है।

ओबराः ओबरा औरंगाबाद जिला का प्रमुख विकासशील क्षेत्र है। इस कस्बे में पारिवारिक उद्योग में सैकड़ों कर्मकार संलग्न है जिनमें अधिकांश महिलाएँ हैं। महिलाओं में से कुछ हथकरघा, सिलाई, भूंज, सोरा, बीड़ी बनाने तथा दुकान (व्यापार) द्वारा जीविकोपार्जन करती हैं। वर्तमान अध्ययन हेतु श्रमिक महिलाओं के चयन का आधार घरेलू उद्योगों में उनकी श्रम सहभागिता के आधार पर सुनिश्चित किया गया है।

समग्र और निदर्शन– ओबरा कस्बे में निवास करने वाली विभिन्न घरेलू उद्योगों में लगे परिवारों को चिन्हांकित किया गया था। वैयक्तिक सर्वेक्षण के माध्यम से कस्बे के उन परिवारों को जिनका घरेलू उद्योग महिलाओं की आय का प्राथमिक स्रोत था, चयनित किया गया। साथ ही ऐसे परिवार जिनमें परम्परागत कुटीर उद्योग चलाये जाते थे, उनसे भी श्रमिक महिलाओं का चयन किया गया था। कुल मिलाकर 200 श्रमिक महिलाओं का चयन किया गया था जो विभिन्न व्यवसायों में संलग्न थे।

आंकड़ों का संकलन दो स्रोतों से किया गया था– प्राथमिक स्रोत तथा द्वितीयक स्रोत।

प्राथमिक समंकों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया था। द्वितीयक समंक प्रकाशित शोध सामग्रियों, समाचार पत्रों, पुस्तकों और अन्य प्रकाशित तथा अप्रकाशित माध्यमों से संकलन किये गये थे।

मौलिक आंकड़ों का परिणाम एवं विश्लेषण– 7 प्रतिशत श्रमिक महिलायें 20 से कम आयु वर्ग की थी। 12 प्रतिशत श्रमिक महिलाओं की आयु 20 से 25 वर्ष थी। 33 प्रतिशत, 9 प्रतिशत, 14 प्रतिशत, 13 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत श्रमिक महिलायें क्रमशः 25 से 30 वर्ष, 30 से 325 वर्ष, 35 से 40 वर्ष, 40 से 45 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक का। 74 प्रतिशत श्रमिक महिलायें मुस्लिम जाति की थी, 8 प्रतिशत नोनिया जाति की, 04 प्रतिशत मल्लाह जाति की, 05 प्रतिशत डोम जाति की, 06 प्रतिशत पासी जाति की तथा 03 प्रतिशत कोईरी जाति की थी।

श्रमिक महिलाओं की धार्मिक स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि 74 प्रतिशत मुस्लिम तथा 26 प्रतिशत हिन्दू धर्म को मानने वाली थी। श्रमिक महिलाओं में से 58 प्रतिशत निरक्षर, 22 प्रतिशत प्राथमिक, 17 प्रतिशत जूनियर हाई स्कूल तथा 03 प्रतिशत हाई स्कूल एवं उच्च शैक्षणिक स्तर की थी। श्रमिक महिलाओं के परिवार की प्रकृति के बारे में प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 60 प्रतिशत श्रमिक महिलाओं का परिवार संयुक्त तथा 40 प्रतिशत का परिवार एकाकी था। श्रमिक महिलाओं के वैवाहिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 95 प्रतिशत महिलायें विवाहित हैं, 02 प्रतिशत विधवा है तथा 03 प्रतिशत महिलायें तलाकशुदा है। श्रमिक महिलाओं के आवास का स्वरूप का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि 65 प्रतिशत का मकान पक्का, 12 प्रतिशत का कच्चा, 20 प्रतिशत का मिश्रित तथा 03 प्रतिशत श्रमिक महिलायें झोपड़ियों में निवास करती है। औसत मासिक आय के आधार पर श्रमिक महिलाओं का अध्ययन करने से स्पष्ट हुआ कि 72 प्रतिशत महिलाओं का औसत मासिक आय 3000 से 5000 रूपये है, 16 प्रतिशत का 5000 से 7000 रूपये, 10 प्रतिशत का 7000 से 9000 रूपये तथा 02 प्रतिशत का मासिक आय 9000 रूपये से

अधिक है। श्रमिक महिलाओं के परिवार में आय करने वाले सदस्यों के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि 70 प्रतिशत परिवारों में 1 से 2 पुरूष सदस्य कमाते थे और इन परिवारों की प्रकृति एकाकी था। इस श्रेणी के 30 प्रतिशत परिवार संयुक्त प्रकृति के थे।

श्रमिक महिलाओं का विवाह के समय आयु का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि हिन्दू समुदाय में अधिकांश पिछड़ी और अनुसूचित जातियों में लड़कियों का विवाह 15 वर्ष से पूर्व किये जाने की परम्परा चली आ रही है। 15 से 20 वर्ष की आयु में मात्र 01 नोनिया जाति की महिला का विवाह हुआ था, मुसलमान समुदाय की 64 प्रतिशत महिलाओं का विवाह भी 15 वर्ष की आयु तक हो गया था। श्रमिक महिलाओं का अन्तर्जातीय विवाह के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया।

प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि 30 प्रतिशत श्रमिक महिलायें अन्तर्जातीय विवाह को आवश्यक मानती है जबकि 70 प्रतिशत अनावश्यक समझती है। श्रमिक महिलाओं से यह पूछा गया कि विवाह होने के पूर्व आपसे विचार–विमर्श किया गया था। प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि 16 प्रतिशत उत्तरदात्रियों से विवाह के पूर्व विचार–विमर्श किया गया था, जबकि 84 प्रतिशत से विचार–विमर्श नहीं किया गया था। श्रमिक महिलाओं से यह प्रश्न पूछा गया था कि आपका विवाहित जलीवन कैसा है? 6 प्रतिशत ने कहा कि उनका विवाहित जलीवन अत्यन्त सुखी है। 60 प्रतिशत महिलाओं का वैवाहिक जीवन सामान्य है। 18 प्रतिशत का विवाहित जीवन दुःखपूर्ण है तथा 16 प्रतिशत का विवाहित जीवन कटुतापूर्ण है।

विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह के प्रति श्रमिक महिलाओं के दृष्टिकोण का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि 96 प्रतिशत महिलाओं का कथन था कि विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह किया जाना सामान्य है। पुनर्विवाह एवं विवाह विच्छेद को असामान्य स्थिति की स्वीकारोक्ति मात्र 4 प्रतिशत है। श्रमिक महिलाओं से यह पूछा गया था कि धार्मिक विषयों पर परम्परागत प्रतिबन्धों की स्थिति के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? 36 प्रतिशत श्रमिक महिलाओं ने कहा कि धार्मिक विषयों पर कभी–कभी उनपर प्रतिबन्ध लगाया जाता है जबकि 64 प्रतिशत का कहना था कि उन्हें धार्मिक विषयों पर कभी प्रतिबन्ध की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। श्रमिक महिलाओं से पूजा–पाठ में उनकी अभिरूचि के सन्दर्भ में पूछे गये प्रश्न से जो उत्तर प्राप्त हुअइा था, उससे यह स्पष्ट होता है कि 60 प्रतिशत महिलायें नियमित रूप से पूजा–पाठ करती थी, जबकि 40 प्रतिशत अनिश्चित रूप से पूजा–पाठ करती थी। श्रमिक महिलाओं से यह पूछा गया था कि आपको उच्च जातियों के साथ भोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, 74 प्रतिशत ने सकारात्मक उत्त दिया तथा 26 प्रतिशत ने नकारात्मक उत्तर दिया।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश श्रमिक महिलाएँ निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आयी थी। अधिकांश श्रमिक महिलाओं के परिवार संयुक्त थे, उनमें कमाने वाले सदस्यों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक थी। संयुक्त परिवारों में औसतन तीन से अधिक सदस्य और एकाकी परिवार में 2 से कम सदस्य आयरत है।

इनमें से अधिकांशः लघु व्यापार, कुटीर उद्योग जैसे कार्यों में लगे हुए थे। अधिकांश श्रमिक महिलायें अन्तर्जातीय विवाह को पसंद नहीं करती। अधिकांश श्रमिक महिलाओं से विवाह के पूर्व राय नहीं लिया गया था तथा राय नहीं लिये जाने पर महिलाओं ने विवाह का विरोध नहीं किया था। अधिकांश श्रमिक महिलाएँ सामान्य वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी। पति के साथ उनके सम्बन्ध कटुतापूर्ण नहीं थे।

References

1. David, L.S. {(1968 (d)} : "International Encyclopaedia of Social Sciences". The Macmillan Co. and the free press, vol. 15. pp. 250.
2. Gadgil, D.R. (1995) : "Women in working force in India, Asia publication House, Bomay, p. 7.
3. Ranade, S.N. and Ramachandran, P. (1970) : "Women and Employment, Tata Institute of Social Sciences, Bombay, pp. 23-28.
4. Jose, A.R. (ed.) 1989 : "Limited option : Woment Workers in Rural India". Asian Regional for Employment promotion, p.-2.
5. Ibid. pp. 11-13
6. Menran, F. and R. Hussmoms (1989) : Surveys on Economically Active population, Employment Unemployment and Indemployment. A Manual on concepts and method (Forth coming I.L.O., Geneva 3)
7. Desai, N. (1957) : "Women in modern India, Vora and Co., Bombay.
8. Hate, C.A. (1969) : "Changing status of women, Allied publishers pvt. ltd., Bombay.
9. Mukherjee, I. (1972) : "Social Status of Noth Indian Women (A.D. 1526-AD. 1707). Educational publishers, Agra.
10. Supra Note 47.
11. Dandekar, K. (1975) : "Has the population of women in India's population been declining?" Economic and political weekly, October. 18.
12. Harris, B. (1986) : "The Intra Family Distribution of Hunger in South Asia, Paper prepared for WIDER project on Hungers and Poverty, Seminar on Food stratagies, Helsinki, July.

*****